न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 31/2016

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
नगाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी आडेल पंचायत समिति सिणधरी जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत आडेल तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. रामाराम पुत्र नरसिंगाराम जाति जाट निवासी सांईयों का तला आडेल पंचायत समिति सिणधरी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 91 दिनांक 10.07.1990 जो ग्राम पंचायत आडेल द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री श्रवणकुमार चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री करनाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 26.11.2024

1. प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत आडेल की ओर से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 91 दिनांक 10.07.90 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत आडेल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 रामाराम पुत्र नरसिंगाराम जाति जाट निवासी सांईयों का तला आडेल पंचायत समिति सिणधरी के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 [illegible] ग्राम आडेल मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 91 दि. 10.07.1990 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1350 वर्गफीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत आडेल द्वारा बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:56:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत आडेल का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया गया। ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत आडेल द्वारा अपने पत्राचार दिनांक 30.09.2015 द्वारा लिखित में प्रकट किया गया कि ग्राम पंचायत आडेल के पूर्व सरपंच श्री धर्माराम का कार्यकाल 17.06.1988 से 19.07.1991 तक रहा तथा इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी पट्टा का आवेदन व प्रस्ताव तथा ग्राम पंचायत रिकार्ड से पट्टा जारी नहीं किया हैं।

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत आडेल की आबादी भूमि में प्रार्थी के कब्जा शुदा आवासहय भूखण्ड 60 गुणा 45 फुट कुल 2700 वर्गफुट का आया हुआ है इसके उत्तर दिशा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि, दक्षिण में गली व आगे थानाराम बेनिवाल का प्लॉट, पूर्व में आडेल से निम्बलकोट जाने वाली पक्की सड़क व पश्चिम दिशा में ग्राम की आबादी भूमि व थार पब्लिक स्कूल आई हुई है। प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर पिछले 50 वर्षों से कब्जा व पुराना रहवास है तथा यह प्लॉट जरिये इकरारनामा सवाईराम से मोल खरीदा है, जिसमें झूंपा बनाकर रहवास किया जा रहा हैं। अप्रार्थी सं. 2 व अन्य ने दिनांक 17.09.2015 को प्रार्थी के भूखण्ड पर आकर धमकी दी कि इस प्लॉट को खाली करके चले जाओ नही तो जबरन बेदखल कर देंगे। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने पक्ष में इस भूखण्ड का ग्राम पंचायत आडेल द्वारा जारी पट्टा होनो बताया तथा आलौच्य पट्टा सं. 91 दिनांक 10.[illegible]1990 की प्रति भी प्रार्थी को दी गई। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत आडेल से अप्रार्थी [illegible] के पक्ष में पट्टा जारी होने की सूचना मांगी गई। ग्रामसेवक द्वारा प्रार्थी को लिखित में जवाब दिया कि ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:56:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

पंचायत आडेल के पूर्व सरपंच धर्माराम का कार्यकाल दिनांक 17.06.1988 से 19.07.1991 तक रहा तथा इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी पट्टा का आवेदन नहीं हुआ व प्रस्ताव एवं पट्टा जारी नहीं किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने मिलकर मिथ्या सूचना के आधार पर राजनैतिक द्वेष के कारण अप्रार्थी सं. 2 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विवादित पट्टा सं.त्र 91 बिना कोई प्रोसिडिंग अपनाये फर्जी तथा कूट रचना करके बनाया गया है। इसलिये पट्टा सं. 91 निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद जांच विवादित पट्टा सं. 91 दिनांक 10.07.1990 को प्रभावहीन एवं शुन्य घोषित करते हुए निरस्त फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 रामाराम के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का कोई भूखण्ड मौके पर नहीं हैं बल्कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का पट्टाशुदा हैं। अप्रार्थी के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया हैं तथा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत कार्यालय में सम्पन्न हुई हैं तथा रेकर्ड में संधारित किया गया था जो अब यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तो इसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है किन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के आधार पर उक्त पट्टा शुन्य और अकृत होना नहीं माना जा सकता हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने के साथ ही सारहीन एव आधारहीन होने से मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी ग्राम पंचायत आडेल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 रामाराम के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 के अधीन ग्राम आडेल मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 91 दिनांक 10.07.1990 जारी किया गया। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत आडेल द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने से घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:56:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह प्रकट किया हैं कि विवादित भूखण्ड पर उनका कब्जा हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को गलत रूप से भूमि का नियमितीकरण किया गया हैं। ऐसे में यदि आलौच्य पट्टे में उल्लेखित भूखण्ड प्रार्थी अपने स्वामित्व का होना मानता हैं तो उसके लिये अपने स्वामित्व अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा जारी उक्त पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही होने से उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता हैं तथा इसके अभाव में इसके जारी करने में किसी प्रकार की अवैधता अथवा अनियमितता की जांच संभव नही हैं साथ ही यदि पत्रावली ग्राम पंचायत पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तो इसके इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा आलौच्य पट्टे एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता हुई है अथवा नहीं, कोई निर्णय दिया जाना संभव नही होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

8. निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:56:18 IST
Reason: SelfAttested